



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 335 राँची, गुरुवार, 25 आषाढ़, 1942 (श०)
16 जुलाई, 2020 (ई०)

परिवहन (नागर विमानन) विभाग

अधिसूचना

15 जुलाई, 2020

अधिसूचना संख्या - ना०वि०-II-03/2012/385-- अस्थायी हेलिपैडों पर हेलिकॉप्टरों के निर्बाध एवं कुशल संचालन हेतु महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा निर्गत Civil Aviation Requirements Section 4, Series B, Part- II में Minimum Safety Requirements for temporary Helicopter Landing Areas से संबंधित प्रावधान निर्धारित हैं.

- उक्त Civil Aviation Requirements Section 4, Series B, Part- II की कंडिका 3.6 के अनुसार “Permission of owner of the site shall be obtained, before it is used for helicopter operation and the district authorities notified in advance. It is the responsibility of the owner or the person having control of such place to ensure that the land is used as per the applicable local regulations.”
- उपरोक्त के आलोक में झारखण्ड राज्य में temporary Helicopter Landing Areas पर हेलिकॉप्टर के अवतरण हेतु उक्त भूमि के स्वामी की अनुमति की आवश्यकता अनिवार्य होगी.
- साथ ही नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्शानुसार झारखण्ड राज्य में हेलिकॉप्टर संचालन पर नियंत्रण रखने हेतु परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार को नोडल एजेंसी तथा निदेशक, उड़ान संचालन, परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है.

5. Licenced हवाई अड्डों को छोड़कर राज्य के अन्य क्षेत्रों में हेलिकॉप्टर का संचालन निम्नवत किया जायेगा:-
- 5.1. निजी क्षेत्र पर हेलीकाप्टर के संचालन हेतु संचालक द्वारा संबंधित भूमि के स्वामी से अवतरण की अनुमति प्राप्त की जाएगी एवं इसकी सूचना हेलिकॉप्टर के संचालन के पर्याप्त समय पूर्व नोडल एजेंसी अथवा संबंधित जिला प्रशासन को दी जाएगी.
- 5.2. सरकारी भूमि अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व वाले non-licenced हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों पर हेलीकाप्टर के संचालन हेतु संचालक द्वारा इसकी पूर्वानुमति नोडल एजेंसी के माध्यम से अथवा सीधे संबंधित जिला प्रशासन से प्राप्त की जाएगी.
- 5.3. हेलिकॉप्टर के संचालन में संचालक द्वारा Civil Aviation Requirements Section 4, Series B, Part- II एवं अन्य सभी मानक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा.
6. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के. रवि कुमार,
सरकार के सचिव
